न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS

अपील संख्या 174 / 2022

बजरंगसिंह पुत्र नारायण सिंह निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं। –दौराने अपील मृतक
1 प्रहलाद सिंह पुत्र बजरंग सिह निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।– दौराने अपील मृतक
1/1 चेतन शेखावत आयु 25 साल पुत्र प्रहलाद सिंह निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
1/2 मु. कुसुम कंवर आयु 27 साल पुत्री प्रहलाद सिंह निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
1/3 श्रीमती विनोद कंवर आयु 52 साल स्त्री प्रहलाद सिंह निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
2 ओंकार सिंह आयु 48 साल पुत्र बजरंग सिंह निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
3 शिव सिंह आयु 45 साल पुत्र बजरंग सिंह निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
4 मु. बेबी कंवर आयु 56 साल पुत्री बजरंग सिंह निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
5 मु. सुमन कंवर आयु 46 साल पुत्री बजरंग सिंह निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
6 श्रीमती पदम कंवर आयु 82 साल स्त्री बजरंग सिंह निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट्स

बनाम

1 भंवर सिंह आयु 87 साल पुत्र नारायण सिंह जाति राजपूत निवासी झाझड़ तहसील नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।
2 राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर तहसीलदार नवलगढ़ जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोडेन्टस

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील अ. धारा 223 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट विरूद्ध
निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.2022 बमुकदमा उनवानी
भंवर सिंह बनाम बजरंग सिंह वगै. दावा बाबत स्थाई
निषेधाज्ञा मु.नं. 10 / 2022(19 / 2005) बअदालत सहायक
कलेक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़

उपस्थिति :

1. श्री शिवनारायण सिंह , अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री सुरेन्द्र सिंह शेखावत, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री संदीप सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

–निर्णय–

दिनांकः– 15/12/25

यह अपील विचारण सहायक कलेक्टर (फा.ट्रे.) नवलगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 10 / 2022(19 / 2005) में पारित निर्णय दिनांक 02.08.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 92, 93, 94 वाके ग्राम झाझड़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि वादी की ओर से इस भूमि के उसकी स्वयं अर्जित होने बाबत कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है बल्कि प्रतिवादी नम्बर 1 / अपीलान्ट की ओर से खतौनी बन्दोबस्त संवत 2012 से 2031 प्रदर्श डी–8 प्रस्तुत की गई है। विचारण न्यायालय ने विवादित भूमि को वादी व प्रतिवादी

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

नम्बर 1 के पिता नारायण सिंह की खातेदारी ही होना माना है। पानेदारी की भूमि ठिकाना से समय से होती थी। ठिकाने रिजम्पसन ऑफ जागिरदारी अधिनियम 1952 से समाप्त होने पर ठिकाने खालसा हो गई। विवादित भूमि वादी/प्रतिवादी नम्बर 1 के पिता नारायण सिंह की खुदकाश्त भूमि थी। इसलिए जागिरदारी खालसा होने पर पानेदान नारायण सिंह स्वयं इस भूमि का खातेदार काश्तकार हुआ परन्तु राजस्व कर्मचारियों की गलती से यह भूमि नारायण सिंह की खातेदारी में दर्ज होने के बजाय उसके बड़े पुत्र वादी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 के नाम से गलत दर्ज हो गई। वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 सगे भाई व उक्त नारायण सिंह के पुत्र होना स्वीकृत तथ्य है। इस भूमि में बने चाह में विद्युत कनेक्शन भी नारायण सिंह के नाम होना स्वीकृत तथ्य है। इस भूमि के पूर्वी 1/2 हिस्से की भूमि में अपीलान्ट द्वारा मकानात बनाये जाकर आबाद होना आदि बातो का वादी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की ओर से प्रतिउत्तर नहीं दिया गया है। इसलिए कानून से यह तथ्य भी वादी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 द्वारा स्वीकृत तथ्य है। विवादित जमीन के 1/2 हिस्से की जमीन पर प्रतिवादी नम्बर 1 का कब्जा है तथा वादी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 की ओर से कब्जा प्राप्त कने के लिए कोई रिलीफ भी नहीं चाही गई है तो कानून से इन परिस्थितियों में बिना कब्जा की रिलीफ चाहे किसी कब्जाधारी के विरूद्ध मात्र स्थाई निषेधाज्ञा की रिलीफ हेतु दावा पोषणीय नही होना अभिनिर्धारित किया गया है। प्रतिवादी नम्बर 1/अपीलान्ट का उपर वर्णित अनुसार विवादित जमीन के पूर्वी 1/2 भाग पर शुरू से ही कब्जा है, काश्त करता है, कुऐ से फसल की सिंचाई करता है व वही अपने हिस्से की जमीन में मकान बनाकर मय परिवार आबाद है। विचारण न्यायालय ने प्रकरण के न्यायालय श्रीमान से प्रति प्रेषित होकर जाने के बाद प्रतिवादी नम्बर 1/अपीलान्ट को विचारण न्यायालय द्वारा कभी कोई नोटिस भिजवाया जाकर तामील नहीं करवाई व न कभी प्रतिवादी नम्बर 1/अपीलान्ट की तामील जारी किया जाना विचारण न्यायालय की पत्रावली की आदेशिकाओं से प्रकट होता है। प्रतिवादी नं. 1/अपीलान्ट ने कभी भी श्री रमाकान्त वकील को अपनी ओर से वकालतनामा नहीं दिया, न प्रस्तुत प्रकरण में उन्हें वकील किया, न पत्रावली से श्री रमाकान्त वकील द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादी नं. 1 की ओर से वकालतनामा प्रस्तुत किया जाना पत्रावली से प्रकट होता है। इसके बावजूद विचारण न्यायालय ने आदेशिका दिनांक 18.05.2022 को प्रतिवादी

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

की ओर से श्री रमाकान्त वकील की उपस्थिति दर्ज कर रखी है। इससे स्पष्ट है कि वादी/रेस्पोडेन्ट नम्बर 1 ने उक्त श्री रमाकान्त वकील से साजबाज कर अपीलान्ट/प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से बहस सनी जाना लिखवाकर अपीलान्ट/प्रतिवादी नम्बर 1 की ओर से बहस सुनी जाना लिखवाकर अपीलान्ट/प्रतिवादी नम्बर 1 को बिना सुनवाई का अवसर दिये विचाराधीन निर्णय व डिक्री अपीलान्ट/प्रतिवादी नं. 1 की पीठ पीछे उसे बिना सुनवाई का अवसर दिये किया गया है। जबकि प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के अनुसार हर व्यक्ति को सुनवाई का अधिकार है। दिनांक 31.10.2022 को अपीलान्ट/प्रतिवादी नम्बर 1 विवादित जमीन के 1/2 हिस्से में बने अपने मकानो में था, तभी रेस्पोडेन्ट नं. 1/वादी कुछ जमीन के ग्राहको को मौके पर लेकर आया तथा अपीलान्ट के 1/2 हिस्से की जमीन की ओर ईशारा करते हुए कहा कि जमीन बिकवाली है जो उसकी खातेदारी में दर्ज है परन्तु प्रतिवादी नम्बर 1/अपीलान्ट नाजायज रूप से बतौर अतिक्रमी इस भूमि पर काबिज व आबाद है। यह भी कहा कि न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/प्रतिवादी नं. 1 को पाबन्द किया हुआ होने के बावजूद वह इस भूमि पर रह रहा है व उपयोग कर रहा है। इस पर अपीलान्ट ने अपनी वृद्धावस्था के कारण अपने पुत्र को जानकारी करने हेतु नवलगढ़ भेजा जहां उसे वादी/रेस्पोडेन्ट नं. 1 का दावा दिनांक 02.08.2022 को वादी/रेस्पोडेन्ट नं. 1 के पक्ष में निर्णित होना बताया तथा निर्णय के बाद पत्रावली भी अभिलेखागार झुन्झुनूं में भेज दी जाना बताया। इस पर दिनांक 01.11.2022 को झुन्झुनूं जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.2022 व अन्य संबंधित दस्तावेजात की नकल प्राप्त किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया जो नकल तैयार की जाकर दिनांक 02.11.2022 को प्राप्त होने पर अपीलान्ट को निर्णय व डिक्री जैर बहस के बाबत पूर्ण जानकारी हुई। दिनांक 31.10.2022 से पहले अपीलान्ट/प्रतिवादी नम्बर 1 को निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.2022 के बाबत कोई जानकारी नहीं थी। जानकारी के रोज से अपील अन्दर मियाद दो माह प्रस्तुत की जा रही है। अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 02.08.2022 को निरस्त फरमाया जावें। विद्वान अधिवक्ता ने अपने कथनों के समर्थन में आरएलडब्ल्यू 2006(1) राज. पेज 52, डीएनजे 2011(3) राज पेज 1188, आरएलआर 1995 (1) पेज 441, सीसीसी 1996 (3) मद्रास पेज 196, आरआरटी

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

2011(1) एससी पेज 602, डीएनजे 2015(4) राज पेज 1442, एआईआर 1998 राज पेज 85 के न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किया।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 92, 93, 94 वाके ग्राम झाझड़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया। प्रकरण में प्रस्तुत खतौनी बन्दोबश्त मौजा झाझड़ संवत 2012 से 2031 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 607 रकबा 29 बीघा के मातमीदार व हिस्सेदार के कॉलम में नारायण सिंह वल्द जैतसिंह कौम राजपूत साकिन देह पानेदार मय वल्दियत व सकूनत के खाने में भंवर सिंह वल्द नारायण सिंह कौम राजपूत साकिन देह मु. कदीम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी संवत 2055 से 2058 के अनुसार खसरा नम्बर 92, 93, 94 रकबा कमशः 0.01, 0.44, 6.93 है. कुल किता 03 कुल रकबा 7. 38 है. की खातेदारी भंवर सिंह पुत्र नारायण सिंह पौत्र जैतसिंह कौम राजपूत साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है नकल मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 607 मी. से नया खसरा नम्बर 92 रकबा 0.01 है. तथा खसरा नम्बर 93 रकबा 0.44 है. तथा खसरा नम्बर 607 मी. व 605 मी. से नया खसरा नम्बर 94 रकबा 6.93 है. बनना प्रमाणित है। इस संबंध में प्रस्तुत विद्युत विभाग द्वारा जारी बिल चाह का फ्लेट रेट का खाता धारक नारायण सिंह जैतसिंह निवासी भैरूबास के नाम से दिया गया है तथा सरपंच ग्राम पंचायत झाझड़ द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की छाया प्रति के अवलोकन से स्व. नारायण सिंह के भंवर सिंह व बजरंग सिह दो उत्तराधिकार होना अंकित किया गया है। इस संबंध में प्रस्तुत परिवार राशनकार्ड का भी अवलोकन किया गया जिसमे मुखिया का नाम नारायण सिंह पुत्र जयसिंह तथा परिवार सदस्यों में नारायण सिंह व बजरंग सिंह दोनों का नाम का अंकन किया गया है। नकल खसरा गिरदावरी ग्राम झाझड़ संवत 2019 से 2022 में 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त प्रतिवादी बजरंग सिंह का होना अंकित किया गया है। इसी प्रकार गिरदावरी संवत

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

2031 से 2034 में खुदकाश्त प्रहलाद सिंह पुत्र बजरंग सिंह मांगूसिंह पुत्र भंवरसिंह साकिन देह खातेदार अंकित है। प्रतिवादी ने खतौनी बंदोबश्त मौजा झाझड़ संवत 2013 से 2031 को प्रदर्श–डी8 के रूप से प्रदर्शित करवाया है। प्रदर्श–डी8 के अवलोकन से खाना संख्या 03 खातेदार का कॉलम नही है बल्कि मातमीदार व हिस्सेदार का कॉलम है जबकि खाना संख्या 04 खातेदारी का कॉलम है जिसमें खातेदारी भंवरसिंह वल्द नारायण सिंह राजपूत के नाम से दर्ज है। प्रदर्श–डी8 प्रथम भू–अभिलेख है, जो संवत 2012 का दस्तावेज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार संवत 2012 मे जिस व्यक्ति का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वह उसका खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वह स्पष्ट है कि जो विवादित भूमि पतिवादी की पैतृक सम्पत्ति हो तथा प्रतिवादी के पिता नारायण सिंह की खातेदारी मे दर्ज हो। प्रदर्श–पी8 का खाना संख्या 03 खातेदारी का नही है, जो नारायण सिंह की खातेदार होना प्रदर्शित करे। उक्त दस्तावेज वादी की सर्वप्रथम खातेदारी में होना साबित करता है, जो वादी की स्वअर्जित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रमाणित करता है। जहां तक खसरा गिरदावरी में प्रतिवादी का नाम अंकित होने व उसके पुत्र प्रहलाद सिंह का नाम दर्ज होने का प्रश्न है खसरा गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईट्स का दस्तावेज नही है। इसलिए खसरा गिरदावरी के आधार पर प्रतिवादी को 1/2 हिस्से का खातेदार भी नहीं माना जा संकता ना ही पंचायत को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देने का अधिकार है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड वादी के नाम से दर्ज है जो वादी की खातेदारी को प्रमाणित करता है। प्रतिवादी विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा स्वयं का होना क्लेम कर रहा है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी का नाम दर्ज नहीं है ना ही प्रतिवादी की ओर से विवादित भूमि में 1/2 हिस्से के लिए पृथक से प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है। बिना खातेदारी अधिकारी क्लेम किये अथवा घोषणा की डिमाण्ड किये विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी का होना नहीं माना जा

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

सकता है ना ही राजस्व अभिलेख के अभाव में मात्र गिरदावरी के आधार पर खातेदारी काश्तकार की भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा माना जा सकता है। गिरदावरी स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है क्योंकि काश्त किराये पर अथवा बंटाई पर करवाई जा सकती है। गिरदावरी से स्वामित्व नही प्राप्त होता है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें। अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब को दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने एक दावा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम बाबत भूमि खसरा नम्बर 92, 93, 94 वाके ग्राम झाझड़ का पेश किया। विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से वाद वादी स्वीकार कर लिया।

विचारण न्यायालय में वाद में उभयपक्ष को सुनकर दिनांक 12.10.2017 को वाद वादी खारिज किया गया है। इसके विरूद्ध इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत होने पर अपील स्वीकार कर निर्णय दिनांक 06.09.2021 से प्रकरण रिमांड किया गया है।

प्रकरण में प्रस्तुत खतौनी बन्दोबश्त मौजा झाझड़ संवत 2012 से 2031 के अनुसार भूमि खसरा नम्बर 607 रकबा 29 बीघा के मातमीदार व हिस्सेदार के कॉलम में नारायण सिंह वल्द जैतसिंह कौम राजपूत साकिन देह पानेदार मय वल्दियत व सकूनत के खाने में भंवर सिंह वल्द नारायण सिंह कौम राजपूत साकिन देह मु. कदीम दर्ज रिकार्ड है। नकल जमाबंदी

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

संवत 2055 से 2058 के अनुसार खसरा नम्बर 92, 93, 94 रकबा क्रमशः 0.01, 0.44, 6.93 है. कुल किता 03 कुल रकबा 7.38 है. की खातेदारी भंवर सिंह पुत्र नारायण सिंह पौत्र जैतसिंह कौम राजपूत साकिन देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है नकल मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 607 मी. से नया खसरा नम्बर 92 रकबा 0.01 है. तथा खसरा नम्बर 93 रकबा 0.44 है. तथा खसरा नम्बर 607 मी. व 605 मी. से नया खसरा नम्बर 94 रकबा 6.93 है. बनना प्रमाणित है।

इस संबंध में प्रस्तुत विद्युत विभाग द्वारा जारी बिल चाह का फ्लेट रेट का खाता धारक नारायण सिंह जैतसिंह निवासी भैरूबास के नाम से दिया गया है तथा सरपंच ग्राम पंचायत झाझड़ द्वारा जारी उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र की छाया प्रति के अवलोकन से स्व. नारायण सिंह के भंवर सिंह व बजरंग सिह दो उत्तराधिकार होना अंकित किया गया है।

इस संबंध में प्रस्तुत परिवार राशनकार्ड का भी अवलोकन किया गया जिसमे मुखिया का नाम नारायण सिंह पुत्र जयसिंह तथा परिवार सदस्यों में नारायण सिंह व बजरंग सिंह दोनों का नाम का अंकन किया गया है।

पत्रावली में प्रस्तुत नकल खसरा गिरदावरी ग्राम झाझड़ संवत 2019 से 2022 में 1/2 हिस्से पर कब्जा काश्त प्रतिवादी बजरंग सिंह का होना अंकित किया गया है। इसी प्रकार गिरदावरी संवत 2031 से 2034 में खुदकाश्त प्रहलाद सिंह पुत्र बजरंग सिंह मांगूसिंह पुत्र भंवरसिंह साकिन देह खातेदार अंकित है। प्रतिवादी ने खतौनी बंदोबश्त मौजा झाझड़ संवत 2013 से 2031 को प्रदर्श–डी8 के रूप से प्रदर्शित करवाया है। प्रदर्श–डी8 के अवलोकन से खाना संख्या 03 खातेदार का कॉलम नही है बल्कि मातमीदार व हिस्सेदार का कॉलम है जबकि खाना संख्या 04 खातेदारी का कॉलम है जिसमें खातेदारी भंवरसिंह वल्द नारायण सिंह राजपूत के नाम से दर्ज है। प्रदर्श–डी8 प्रथम भू–अभिलेख है, जो संवत 2012 का दस्तावेज है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार संवत 2012 मे जिस व्यक्ति का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है वह उसका खातेदार काश्तकार है। प्रतिवादी ने ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है जिससे वह स्पष्ट है कि जो विवादित भूमि पतिवादी की पैतृक सम्पत्ति हो तथा प्रतिवादी के पिता नारायण सिंह की खातेदारी मे दर्ज हो। प्रदर्श–पी8 का खाना संख्या 03 खातेदारी का नही है, जो नारायण सिंह की खातेदार होना प्रदर्शित करे। उक्त दस्तावेज वादी की सर्वप्रथम खातेदारी में होना साबित करता है, जो वादी की स्वअर्जित राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रमाणित करता है।

जहां तक खसरा गिरदावरी में प्रतिवादी का नाम अंकित होने व उसके पुत्र प्रहलाद सिंह का नाम दर्ज होने का प्रश्न है खसरा गिरदावरी रिकार्ड ऑफ राईट्स का दस्तावेज नही है। इसलिए खसरा गिरदावरी के आधार पर प्रतिवादी को 1/2 हिस्से का खातेदार भी नहीं माना जा सकता ना ही पंचायत को उत्तराधिकार प्रमाण पत्र देने का अधिकार है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड वादी के नाम से दर्ज है जो वादी की खातेदारी को प्रमाणित करता है।

प्रतिवादी विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा स्वयं का होना क्लेम कर रहा है जबकि राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी का नाम दर्ज नहीं है ना ही प्रतिवादी की ओर से विवादित भूमि में 1/2 हिस्से के लिए पृथक से प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया है। बिना खातेदारी अधिकारी क्लेम किये अथवा घोषणा की डिमाण्ड किये विवादित भूमि में 1/2 हिस्सा प्रतिवादी का होना नहीं माना जा सकता है ना ही राजस्व अभिलेख के अभाव में मात्र गिरदावरी के आधार पर खातेदारी काश्तकार की भूमि पर प्रतिवादी का कब्जा माना जा सकता है। गिरदावरी स्वामित्व का दस्तावेज नहीं है क्योंकि काश्त किराये पर अथवा बंटाई पर करवाई जा सकती है। गिरदावरी मात्र से स्वामित्व प्राप्त नहीं किया जा सकता है।

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का तनकीवार विस्तृत विवेचन व विश्लेषण कर विचाराधीन निर्णय से वाद वादी डिक्री करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय के निर्णय में हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है। विलम्ब को दिन प्रतिदिन का संतोषप्रद कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट मियाद का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट मियाद एवं गुणावगुण दोनों पर खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 15/12/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

(अनिल कुमार II)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर

अनिल कुमार II RAS
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)